

राजस्थान सरकार  
गृह (युप-10) विभाग

क्रमांक:- प9(1)पद सृजन/गृह-10/2020

जयपुर, दिनांक: 29.10.2021

आदेश

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.10.2020 के द्वारा कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित न्यायालयों को कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित न्यायालयों में क्रमोन्नत किया है, उक्त क्रमोन्नत न्यायालयों में पूर्व में स्वीकृत पदों को क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

| क. सं. | न्यायालय का पूर्व नाम व जिला                                     | क्रमोन्नत न्यायालय का नाम व जिला  | पूर्व में स्वीकृत पद                         | क्रमोन्नत पद                          |
|--------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1      | 2  | 3   | 4  | 5                                     |
| 1.     | सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां जिला नागौर।        | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां जिला नागौर। | सहायक अभियोजन अधिकारी-01<br>कनिष्ठ सहायक -01 | अभियोजन अधिकारी-01<br>वरिष्ठ सहायक-01 |
| 2.     | अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी जिला जयपुर। | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी जिला जयपुर।  | सहायक अभियोजन अधिकारी-01<br>कनिष्ठ सहायक -01 | अभियोजन अधिकारी-01<br>वरिष्ठ सहायक-01 |

वित्त (व्यय-4) विभाग कि आई.डी.संख्या 102104803 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा सहमति प्राप्त कर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।  
अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

*(Handwritten Signature)*  
29/10

(चयल मिश्रा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. जिला कलक्टर नागौर व जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
8. संबंधित न्यायालय।
9. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त क्रमोन्नत न्यायालयों में क्रमोन्नत पदों पर पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन नागौर व जयपुर।
11. संस्थापन शाखा राजपत्रित व अराजपत्रित/एसीआर/मंत्रालयिक वरिष्ठ व कनिष्ठ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली।

*(Handwritten Signature)*  
29/10

शासन सचिव, गृह (विधि)

आदेश

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.10.2020 के द्वारा कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित न्यायालयों को कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित न्यायालयों में क्रमोन्नत किया है, उक्त क्रमोन्नत न्यायालयों में पूर्व में स्वीकृत पदों को क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | न्यायालय का पूर्व नाम व जिला                                   | क्रमोन्नत न्यायालय का नाम व जिला   | पूर्व में स्वीकृत पद                         | क्रमोन्नत पद                          |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5                                     |
| 1.       | सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह जिला टोंक। | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह जिला टोंक। | सहायक अभियोजन अधिकारी-01<br>कनिष्ठ सहायक -01 | अभियोजन अधिकारी-01<br>वरिष्ठ सहायक-01 |

वित्त (व्यय-4) विभाग कि आई.डी.संख्या 102104169 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा सहमति प्राप्त कर स्वीकृती एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

  
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. जिला कलक्टर टोंक।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-4) विभाग।
8. संबंधित न्यायालय।
9. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त क्रमोन्नत न्यायालयों में क्रमोन्नत पदों पर पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन टोंक।
11. संस्थापन शाखा राजपत्रित व अराजपत्रित/एसीआर/मंत्रालयिक वरिष्ठ व कनिष्ठ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, गृह (विधि)